झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–12/2024–2911 व०प०, राँची, दिनांक–24/7/24

प्रेषक,

जलज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज,
नई दिल्ली–110003

By email
To upload on
Parivesh

विषयः– **धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु कुल–99.256 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–269 दिनांक–20.06.2024 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

विषयक 99.256 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रस्तावित 99.256 हे0 वनभूमि के NPV की राशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(3) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चाकुलिया वन क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित 198.512 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(4) CWLW के मंतव्य में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(5) प्रस्ताव के पार्ट–II एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा वन संरक्षक के Site Inspection Report में प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(6) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन
24/7/2024
(जलज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–12/2024– 2911 व०प०, राँची, दिनांक– 24/7/24

प्रतिलिपि–उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय, हरमू चौक, राँची–834002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

24/7/2024
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–वन भूमि–12/2024–2911 व०प०, राँची, दिनांक– 24/7/24

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/2024

(3)

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 269 दिनांक :– 20/3/2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का पत्रांक 378 दिनांक 23.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हे0 वन भूमि के अपयोजन हेतु प्रस्ताव सं0– FP/JH/Others/41404/2019 ऑनलाईन तथा हार्डकॉपी दिनांक 07.02.2020 को प्राप्त हुआ था। प्राप्त प्रस्ताव पर कतिपय बिन्दुओं पर त्रुटियाँ पाई गई थी जिसके कारण प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 265 दिनांक 09.04.2020 द्वारा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर को ऑनलाईन तथा हार्डकॉपी में वापस किया गया था। तदोपरान्त्, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के पत्रांक 1573 दिनांक 23.08.2022 द्वारा पृच्छाओं का निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्राप्त प्रतिवेदन के जाँचोपरान्त प्रस्ताव को पुनः त्रुटिपूर्ण पाया गया तथा इस कार्यालय के पत्रांक 960 दिनांक 16.09.2022 द्वारा पाँच बिन्दुओं पर त्रुटियाँ इंगित करते हुए प्रस्ताव को ऑनलाईन वापस किया गया। तत्पश्चात् अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर के पत्रांक 378 दिनांक 23.02.2024 द्वारा पृच्छा का अनुपालन करते हुए प्रस्ताव समर्पित किया गया है।

समर्पित प्रतिवेदनानुसार अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

1. प्रस्ताव विहित प्रपत्र में समर्पित है। प्रस्तावित धालभूमगढ़ हवाई अड्डा के विकास हेतु 99.256 हे0 वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण निम्नवत् है :–

प्रमंडल का नाम	क्र0 सं0	मौजा का नाम	थाना सं0/ थाना नं0	अधिसूचित वनभूमि का रकवा (हे0 में)		जंगल झाड़ी दर्ज भूमि का रकबा (हे0 में)	कुल प्रस्तावित वन भूमि का रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
				आरक्षित वन भूमि (RF)	सुरक्षित वन भूमि (PF)			
1	2	3	4	5		6	7	8
जमशेदपुर	1	बुरूडीह	घाटशिला/ 387	25.686		12.65	38.336	0.71
	2	चारचाका	घाटशिला/ 388	6.048		7.665	13.713	
						1.818	1.818	
						0.098	0.098	
	3	देवसोल	घाटशिला/ 191	2.976		0.343	3.319	
	4	कोकपारा नरसिंहगढ़	घाटशिला/ 173	5.499		11.18	16.679	
				8.406		9.832	18.238	
				4.593		1.817	6.41	
				0.58			0.58	
	5	रूआशौल	घाटशिला/ 175		0.065		0.065	
		कुल रकबा :–		53.788	0.065	45.403	99.256	[illegible]

प्रधान सचिव कोषांग
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
सं0 1835
18 APR 2024
झारखण्ड, राँची

2. प्रस्ताव के पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
3. प्रस्ताव के साथ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं अनुशंसा पार्ट–III में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
4. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल का पार्ट–II संलग्न है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुशंसा ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
5. प्रस्ताव के साथ Part-II Offline Form संलग्न है।
6. प्रस्ताव के साथ Form-A Part-I Online Form संलग्न है।
7. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाली वनभूमि का Land Schedule संलग्न है।
8. प्रस्ताव में सन्निहित 45.403 हे0. गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के ज्ञापांक 36/रा0 जमशेदपुर, दिनांक 04.01.2020 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है।
9. प्रस्ताव में सम्मिलित वनभूमि के संबंध में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र अप्राप्त है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 11-43/2013-FC, Dated 26/2/2019 का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि स्टेज–I स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण पत्र समर्पित करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति स्टेज–I compliance के समय समर्पित कर दी जायेगी।
10. प्रस्ताव के साथ अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ द्वारा सत्यापित भूमि विवरणी (Land Schedule) की प्रति संलग्न है।
11. प्रस्ताव में सम्मिलित गैर वनभूमि का विवरण संलग्न है।
12. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होनेवाले वृक्षों की विस्तृत गणना सूची एवं प्रजातिवार/Girthwise Abstract संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ DGPS survey report समर्पित है जिसके साथ Digitized ग्राम कैडेस्ट्रल मानचित्र (Geo reference map) पर प्रस्तावित Airport के लोकेशन को दर्शाते हुए समर्पित किया गया है। साथ ही KML File CD के रूप में संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ 1:50000 स्केल वाले टोपो मानचित्र पर प्रस्तावित Airport के लोकेशन को दर्शाते हुए संलग्न है।
15. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित भूमि का Digitized ग्राम कैडेस्ट्रल मानचित्र संलग्न है। साथ ही CA land का KML file CD के रूप में संलग्न है।
16. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित भूमि को 1:50000 स्केल वाले टोपो मानचित्र पर दर्शाते हुए समर्पित किया गया है।
17. 10 वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन एवं CA suitability report प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा online uploaded है।
18. Airport Authority of India limited का Authorization letter संलग्न है।
19. प्रस्ताव के साथ Justification for locating the project in forest area संलग्न है।
20. प्रस्ताव के साथ लागत लाभ विश्लेषण प्रतिवेदन संलग्न है तथा ऑनलाईन अपलोडेड है।
21. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण की राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।
22. प्रस्ताव के साथ NPV ...

23. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

24. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है कि वे भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वन भूमि अपयोजन के क्रम में लगाये गये शर्तों का अनुपालन करेंगे।

25. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Approach road के Alternative Alignments को Topo map पर दर्शाते हुए समर्पित किया गया है।

26. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता समर्पित किया गया है कि विषयगत परियोजना के प्रस्ताव हेतु वन भूमि की आवश्यकता अनिवार्य है एवं Barest minimum है।

प्रस्ताव के वन्यप्राणी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक (CWLW), झारखण्ड, राँची से मंतव्य की मांग की गई है। प्राप्त होते ही अलग से समर्पित की जायेगी।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कुल 99.256 हे0 वनभूमि के अपयोजन हेतु अनुसंशा की गई है जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत है। इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः प्राप्त मूल प्रस्ताव की तीन–तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।
(तीन प्रतियों में)

विश्वासभाजन,

20/3/24

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

20/03/2024

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Development of Dhalbhumgarh Airport 99.256 ha. under Jamshedpur Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for diversion of 99.256 ha of Forest land with conditions as stated in the forwarding letter no.- 2911 dated- 24/7/24

24/7/24

Rajdeep Sanjay Lal John
Special Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Special Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi